भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 235
मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़,1947 (शक) को उत्तरार्थ

एमपीएसीएस

†235. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमपीएसीएस) की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, कोई योजना क्रियान्वित की है या कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये समितियाँ छोटे और सीमांत किसानों के समक्ष किफायती ऋण और गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करेंगी;

(ग) क्या भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के माध्यम से उच्च उपज वाली, रोग-प्रतिरोधी बीज किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ कोई चालू या योजनाबद्ध सह्योग कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की बीबीएसएसएल के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में एमपीएसीएस की सफलता सुनिश्चित करते हुए निजी बीज कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की चुनौती का समाधान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख) सहकारिता मंत्रालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (एम-पैक्स) की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण पहलों को लागू किया है, जिनके साथ-साथ लघु और सीमांत किसानों के सामने किफायती ऋण और गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान भी किया है । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के समन्वय से नाबार्ड, एन.डी.डी.बी., एन.एफ.डी.बी. और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सघन करना;

ii. पैक्स की परिचालन दक्षता में वृद्धि, लेनदेन लागत में कमी, और ऋण वितरण में तेजी सुनिश्चित करने हेतु रु. 2,925.39 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय प्रायोजित परियोजना का क्रियान्वयन;

iii. पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता और अन्य कृषि अवसंरचनाओं, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, आदि के निर्माण हेतु सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का क्रियान्वयन, जिससे किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके;

iv. किसानों को एक ही दुकान पर उर्वरकों और अन्य कृषि सेवाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में पैक्स;

v. पंचायत स्तर पर ही ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु कॉमन सेवा केन्द्रों के रूप में पैक्स;

vi. पैक्स को पेट्रोल/डीजल आउटलेट, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप संचालित करने की अनुमति दी गई, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता में वृद्धि हो सके और उनके किसान सदस्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व के स्रोत खुल सकें;

vii. बैंक मित्र सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो-एटीएम के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सशक्त करना;

viii. सहकारिता क्षेत्र में पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन, जिससे उन्हें सुगम बाजार पहुँच और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त प्राप्त हो सकें;

ix. ई-संयुक्ति (NCCF) और ई-समृद्धि (NAFED) जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से पैक्स के पूर्व-पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तुअर, मसूर, उड़द और मक्का की गारंटीकृत खरीद, जिससे दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा और किसानों की आय में स्थिरता मिल सके ।

सामूहिक रूप से, इन प्रयासों का उद्देश्य पैक्स को जीवंत, बहुउद्देशीय संस्थानों में बदलना, वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करना और उनसे जुड़े लघु और सीमांत किसानों की आजीविका को बढ़ाना है ।

(ग) जी हाँ, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने विभिन्न फसलों और किस्मों के आनुवंशिक रूप से उच्च क्षमता वाले अच्छी गुणवत्ता वाले प्रजनक बीज प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अग्रणी अनुसंधान संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन/ सहमति (MoU/ MoA) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि आधार और प्रजनक बीज का और अधिक गुणन किया जा सके:

- आईसीएआर - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली
- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (PAU), पंजाब

- आईसीएआर - भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (IIMR), लुधियाना, पंजाब
- आईसीएआर - भारतीय कुट्टू अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद, तेलंगाना
- गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड
- प्रादेशिक प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं व्यावसायिक योजना एवं विकास इकाई, आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली
- अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT), हैदराबाद
- विश्व सब्जी केंद्र (AVRDC), थाईलैंड
- देशी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन, उत्तराखंड
- बीज अनुसंधान केंद्र, कालोल (यह समझौता ICRISAT, IFFCO और BBSSL के बीच किया गया है)

(घ) निजी बीज कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने और MPACS कृषि इकोसिस्टम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, BBSSL निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

- सहकारी माध्यमों से किफायती दरों पर स्वदेशी और प्रमाणित बीज किस्मों को बढ़ावा देना;
- बीज उत्पादन, वितरण और भंडारण में सहकारी समितियों/ बहुउद्देशीय पैक्स की क्षमताओं को शामिल करना और उनका निर्माण करना;
- BBSSL बीजों में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-स्तरीय प्रदर्शन और आउटरीच सत्र ।
- अनुसंधान बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण जर्मप्लाज्म तक पहुंच और स्थानीय बीज उत्पादन के लिए संस्थागत सहयोग ।

****